न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

Email- sdm.bagodar-jhr@gov.in

भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा आदेश

वाद संख्या 30/2025

अंचल अधिकारी, बिरनी का पत्रांक 197 दिनांक 22.02.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिरनी अंचल अंतर्गत मौजा– सिमराढाब, थाना– नं0– 37, खाता नं0– 57, प्लॉट नं0– 61, कुल रकबा– 13.84 एकड़ भूमि जो सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की है। किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है। वर्तमान में उक्त प्लॉट के आंशिक भाग पर (1) मुंशी साव वगैरह, पिता– भुखी साव (2) गुरूदेव साव वगैरह पिता– फनीभूषण साव (3) टेकनारायण साव, पिता– बुधन साव सभी साकिन– सिमराढाब द्वारा बाजबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है।

उपरोक्त कारणों से संतुष्ट होकर मैं **संतोष गुप्ता, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया** भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
सिमराढाब	37	57	61	13.84 ए0	उ0– परती कदीम, द0– परती कदीम पू0– परती कदीम, प0– कर्मचारी भवन

1. यह निषेधाज्ञा सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा;
2. निषेधाज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त भूमि पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने/लाठी भाला/पारंपरिक अस्त्र–शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगायी जाती है; (यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल/ पर लागू नहीं होगा।)
3. उक्त भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्ण रूपेन रोक लगाई जाती है;
4. यह आदेश कार्यावधि के दौरान पुलिस बल, अर्धसैनिक बल द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा;

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया जो अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

25-02-25

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

ज्ञापांक 76/ न्या0 /दिनांक 25/2/2025

प्रतिलिपि : पक्षकार– (1) मुंशी साव वगैरह, पिता– भुखी साव (2) गुरूदेव साव वगैरह पिता– फनीभूषण साव (3) टेकनारायण साव, पिता– बुधन साव सभी साकिन– सिमराढाब, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 07-03-25 को पूर्वा0 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बिरनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

25-02-25

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/3/25	पक्षकार सं. ① ② एवं ③ के तरफ से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 12/3/25 तक w/s दाखिल करें। [signature] 07/3/25	
12/3/25	द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा तथा list of documents बनाते हुए राजस्व कागजात दाखिल किया गया। आदेश हेतु। [signature] 12/3/25	
12/03/25	**आदेश** (30/2025) अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन पर, विवाद की संभावना तथा उक्त विवाद से लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर निरोधात्मक कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में अवस्थित विवादास्पद भूमि पर दिनांक 25-02-25 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा विवाद में सम्मिलित पक्षकारों को उक्त भूमि पर जाने तथा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया। जारी—	

आदेश क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विवादास्पद भूमि मौजा: सिमराढ़ाब (बिरनी) खाता - 57 प्लॉट - 61 कुल रकबा: 13.84 एकड़ नोटिस निर्गत कर द्वितीय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। द्वितीय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा अपना पक्ष रखा एवं लिखित कारण पृच्छा दाखिल किए। द्वितीय पक्ष का कहना है कि यह इनकी खरीदगी भूमि है। चूँकि अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा उक्त विवादास्पद जमीन की प्रकृति गैर मजरुआ बतलाई गई है तथा किस्म परती कदीम है। अतः द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि पर किए जा रहे मालिकाना हक के दावे की वैधता की सूक्ष्मता से जाँच आवश्यक है। उक्त जाँच के पूर्व प्रस्तुत वाद में द्वितीय पक्ष के हित में या विरुद्ध कोई अंतिम	

…की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः अंचल अधिकारी बिरनी को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के दावे की नियमानुसार सूक्ष्मता से जाँच करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त फलाफल के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश की प्रति द्वितीय पक्ष, अंचल अधिकारी बिरनी, थाना प्रभारी बिरनी तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता बगोदर सरिया को भेजें। लेखापित एवं संशोधित 12/3/25 अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया	12/3/25 अनु० पदा० बगोदर सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.09.01 13:35:31 +05:30
Location: 192.168.97.26